बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
साईकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ अभियान, 2014

पृष्ठभूमि–

पटना महानगर में बढ़ते वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के स्तर को कम कर पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से साईकिल प्रोत्साहन योजना आरंभ की जा रही है। पर्यावरण सुरक्षा के साथ–साथ इस योजना से लोगों का स्वास्थ अनुकूल होगा शहरी क्षेत्र में पथों पर ट्रैफिक दबाव कम होगा एवं साईकिल उपयोग करने से आर्थिक बचत भी होगी।

विभाग का यह प्रयास बहुउद्येश्यीय है एवं पर्यावरण सुरक्षा के वृहत्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आरंभ किया जा रहा है।

2. योजना आरंभ एवं समाप्ति की तिथिः–

प्रथम चरण में प्रायोगिक तौर पर यह योजना पटना में पहली सितंबर 2014 से आरंभ होकर दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक की अवधि के लिए चलाई जायेगी। योजना की लोकप्रियता एवं सफलता को देखकर इसे आगे चलाने पर बाद में निर्णय लिया जायेगा।

3. साईकिल सवारी से लाभ–

1. शहरी क्षेत्र में पर्यावर्णिक प्रदूषण का स्तर कम होगा।
2. शहर में ट्रैफिक दबाव कम होगा एवं सड़क दुर्घटना में कमी आयेगी।
3. साईकिल सवारी से कर्मियों में सर्कुलर फिटनेस बढ़ेगा और हार्ट अटैक एवं ब्रेन स्ट्रोक से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी।
4. मांसपेशियों की ताकत बढ़ेगी। जोडों की बिमारी में लाभदायक। हड्डी मजबूत होगा।
5. तनाव, अवसाद एवं क्रोध में कमी होगी।
6. पोर्चर फिटनेस तथा शारीरिक एवं मानसिक संतुलन एवं समन्वय होगा।
7. बॉडी फैट (मोटापा) में कमी होगी।
8. स्टेमिना में वृद्धि होगी।
9. साईकिल को छोटे आवागमन के विकल्प के रूप में अपनाने से लोगों के व्यय बजट में कमी आयेगी।

4. योजना में शामिल होने की अर्हताएँः–

पटना के संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में सुबह टहलने के लिए निर्धारित समय (5:00 से 8:00 बजे तक) में उद्यान में आने वाले सभी महिला एवं पुरूष इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

5. **योजना में शामिल होने की प्रक्रियाः–**

योजना में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति को दिनांक 30 एवं 31 अगस्त 2014 को संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के गेट संख्या– 2 पर अवस्थित निबंधन काउंटर पर विधिवत् निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक प्रवृष्टि कर सुबह 06:30 बजे से 08:30 बजे के बीच निबंधन कराना होगा। सभी निबंधन कराने वाले व्यक्ति को निबंधन काउंटर से प्राप्ति रसीद निर्गत किया जायेगा।

निबंधन के लिए हाल का दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, परिचय पत्र (विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा निर्गत परिचय पत्र/वोटर आई० डी०/ पैन कार्ड/आधार कार्ड/राशन कार्ड) तथा वर्तमान पता के प्रमाण की छायाप्रति अभिप्रमाणित करा कर जमा करना होगा। निबंधन के उपरांत उन्हें दूसरे/तीसरे दिन एक इको कार्ड दिया जायेगा। योजना में शामिल हुए निबंधित व्यक्ति की साईकिल ही इको कार्ड देखकर साईकिल स्टैंड में रखी जा सकेगी एवं वे ही कूपन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

माह सितम्बर 2014 से दिसम्बर 2014 के बीच की अवधि में प्रत्येक रविवार को सुवह 06:30 से 08:30 बजे के तक निबंधन किया जायेगा। यह निबंधन निःशुल्क होगा

निबंधन प्रपत्र का प्रारूप अनु०–1 के रूप में संलग्न रखा गया है।

6. **योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया–**

- ➢ योजना में शामिल होने के इच्छुक व्यक्तियों को निबंधन के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर विधिवत् निबंधन कराना है एवं इको कार्ड प्राप्त करना है।
- ➢ निबंधन के उपरांत दिनांक 01.09.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि में सुबह में अपनी निजी साईकिल से संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के गेट नम्बर–2 पर टहलने के लिए निर्धारित अवधि में आना है।
- ➢ योजना में शामिल होने वाले व्यक्तियों की साईकिल निःशुल्क गेट के पास बने साईकिल स्टैंड में सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। साईकिल स्टैंड में सुवह 05:00 से 07:00 बजे तक साईकिल रखी जा सकेगी।
- ➢ उद्यान में भ्रमण समाप्ति के उपरांत साईकिल स्टैंड से साईकिल प्राप्त करने के समय एक इको कूपन दिया जायेगा। इको कूपन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम एक घंटा भ्रमण करना अनिवार्य होगा। एक घंटा से कम भ्रमण करने वाले इको कूपन प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

7. **साईकिल परिचालन को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार–**

यद्यपि साईकिल चलाना स्वयं बुद्धिमानी का कार्य है और व्यक्ति के साथ–साथ पूरी प्रकृति के लिए लाभदायक है। हाल के वर्षों में लोग की मानसिकता में परिवर्त्तन आया है और लोग साईकिल चलाना नहीं चाहते हैं।

अतः साईकिल परिचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा पुरस्कार की व्यवस्था की गयी है। पुरस्कार की विवरणी निम्नवत् है–

क्रम सं०	पुरस्कार का आधार कूपन की संख्या	पुरस्कार सामग्री	पुरस्कार की संख्या	चयन
1	10 कूपन पर	कैप	सभी 10 कूपन धारी व्यक्तियों को	
2	20 कूपन पर	गोलगला टी शर्ट	1000 व्यक्तियों को	
3	30 कूपन पर	कॉलर वाला टी शर्ट	500 व्यक्तियों को	
4	50 कूपन पर	एक ट्रैक शूट	250 व्यक्तियों को	
5	80 कूपन पर	एक साईकिल	100 व्यक्तियों को	

नोटः क्रम संख्या–1 का पुरस्कार सभी 10 कूपनधारी को दिया जायेगा परन्तु क्रमांक 2–5 तक का पुरस्कार जिसकी संख्या निर्धारित है सबसे पहले निर्धारित संख्या में कूपन जमा करने वाले व्यक्तियों को ही दिया जायेगा।

2. यदि एक साथ ही निर्धारित संख्या में ज्यादे व्यक्तियों द्वारा कूपन जमा कर लिया जाता है तो वैसी स्थिति में सभी कूपनधारियों को लॉटरी ड्रा निकालकर पुरस्कृत किया जायेगा।

3. पुरस्कार के लिये योजना अवधि में प्रत्येक माह के अंत पर पुरस्कार वितरण किया जायेगा। इस प्रकार पहला वितरण अक्टूबर में दूसरा नवम्बर में तीसरा दिसम्बर में एवं चौथा जनवरी 2015 में होगा।

4. पहले मासिक पुरस्कार में जो व्यक्ति जमा कूपन की संख्या के आधार पर पुरस्कार प्राप्त कर लेगें उनके जमा कूपन की वैधता समाप्त हो जायेगी और उन्हें अगले पुरस्कार के लिये दुबारा निबंधन कर नये सिरे से कूपन जमा करना होगा। यह उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा वे जमा कूपन पर पुस्कार प्राप्त करें एवं योजना से बाहर हो जाय अथवा बगैर मासिक पुरस्कार लिये अपना कूपन जमा करते जाय तथा एक ही बार पुरस्कार लें। इसके लिये उन्हें निबंधन प्रपत्र में विकल्प देना होगा।

7. सुरक्षा की जिम्मेवारी–

यह योजना शहर के नागरिको के पर्यावरण प्रदूषण स्तर को कम करने स्वस्थ जीवन के साथ–साथ लोगों को मोटर कार/बाईक के बदले साईकिल सवारी को विकल्प के रूप में अपना कर आर्थिक बचत के उद्देश्य से आरंभ की जा रही है।

इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति स्वंय अपना एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी का ध्यान रख कर योजना में भाग लेगें। यद्यपि विभाग द्वारा पुलिस प्रशासन से ट्रैफिक को इस प्रकार विनियमित करने का अनुरोध किया जायेगा कि साईकिल सवार को कठिनाई न हो, परन्तु साईकिल पर उद्यान का भ्रमण करने आने वाले व्यक्ति स्वंय अपनी सुरक्षा का ख्याल रखेंगें एवं सावधानी पूर्वक साईकिल का परिचालन करेंगें। किसी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेंवारी विभाग की नहीं होगी।